सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 14.11.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनाकं 14.11.2023 को थाना को0नगर पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त संतोष कुमार जयसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0स0 866/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत था अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संतोष कुमार जायसवाल पुत्र किशोरीलाल निवासी दर्जीपूर्वी कस्बा व थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-866/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष दिनेश सिंह मय टीम थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने आगामी त्योहारों धनतेरस/दिवाली/भाई दूज को सकुशल व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु को0 नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल गस्त-

त्योहारों में गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के दिये संदेश, लोगो से आपसी भाई-चारे के साथ त्योहारों को मनाने की कि अपील:-

संदिग्ध वाहनों/ व्यक्तियों की चेकिंग कर युवाओं को यातायात नियमों का पालन करने का दिया संदेश तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

आज दिनांक 09.11-2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने धनतेरस व आगामी त्योहारों दिवाली/ भाई-दूज के दृष्टिगत शहर क्षेत्र के सराफा मार्केट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया, इस दौरान बाजार के व्यापारियों/दुकानदारों से वार्ता कर शासन के द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जारी गाइडलाइन्स का पालन करने हेतु बताया गया साथ ही आम जनमानस से संवाद स्थापित करते हुए सभी लोगों से आपसी भाई-चारे के साथ त्योहारों को मनाने की अपील भी की गयी। पुलिस अधीक्षक ने गस्त के दौरान यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कोई भी भ्रामक पोस्ट न डाले जिससे अमन चैन खराब न हो अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक पोस्ट डाल कर त्योहारों का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगा उसके विरूद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर में संदिग्ध वाहनों/ व्यक्तियों की चेकिंग कर यातायात नियमों का पालन करने हेतु आमजन मानस को बताया गया तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 14.11.2023

जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षो को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्तगण 01. नौशाद 02. सहजाद अली उर्फ पुत्ती लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण ने वादिनी के पति को जान मारने की नियत से घसीटकर घर के अन्दर बन्द करके लाठी- डन्डा से मार-पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. नौशाद पुत्र स्व0 नीबर अली निवासी ग्राम लालकपुरवा मौजा गौसिहा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-359/23, धारा 307, 323, 342, 504, 506 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय टीम थाना कौडिया, जनपद- गोण्डा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 14.11.2023

पारिवारिक कार्यक्रम में व्यवधान डालने व मना करने पर तमंचा से फायर कर जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 13.11.2023 को रजित राम शर्मा पुत्र स्व0 रामकेदार निवासी ग्राम दत्तनगर माफी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ने सूचना दिया की दिनाकं 12.11.2023 को मेरे लड़के की बरही में गीतसंगीत कार्यक्रम के दौरान बगल गाँव के कुछ लोगो द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान डाल रहे थे। मना करने पर उक्त लोगो द्वारा जान से मारने की नियत से तमंचा फायर कर दिया। व मारपीट के दौरान चोटे भी आयी है उक्त सूचना पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश थानाध्यक्ष धानेपुर को दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.11.2023 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी कर मुखबिर खास की सूचना पर आरोपी अभियुक्तगण 01. सुनील कुमार 02. महेश पुत्र जिलाजीत यादव 03. सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर सुनील कुमार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा व 05 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुनील कुमार पुत्र मायाराम निवासी ग्राम आनन्द नगर दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर गोण्डा ।
02. महेश पुत्र जिलाजीत यादव निवासी ग्राम रेहरवा दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. सौरभ सिंह पुत्र विजय कान्त सिंह निवासी ग्राम रेहरवा दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा।
02. 06 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद खोखा कारतूस।
04. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल (बजाज प्लेटीना।)

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 355/23 धारा 307, 34, 352, 323, 504, 506 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना धानेपुर, जनपद गोंडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 परशुराम सिंह मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील कुमार पासवान -

01. मु0अ0सं0 378/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 375/2021 धारा 457/380 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(द),(ध) थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 14.11.2023</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को ह्रदय से दिया धन्यवाद-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है ।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित श्री अंकित मिश्रा निवासी ग्राम महादेवा मलारी बाजार थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ने थाना को0 देहात पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि साइबर फ्राँड गिरोह के सदस्यो द्वारा फर्जी काल करके पैसो का प्रलोभन देकर उनके पेटीएम के माध्यम से काफी रूपये ट्रांसफर कर लिया गया है।

उक्त सूचना पर थाना को0 देहात साइबर हेल्प डेस्क तैनात कम्पयूटर आपरेटर प्रवीण पाण्डेय व म0का0 दीपांशी मिश्रा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि रु0 10,000/- को होल्ड कराते हुए पीड़ित के रूपये 10,000 /- खाते में पैसा वापस कराया गया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सह्रदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।
थाना को0 देहात पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा 01 सप्ताह में 03 पीडितों के साथ साइबर फ्राड़ के कुल 48,999/- रुपये की बरामद करायी गयी है।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल जनपद गोण्डा

दिनांक 14.11.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे साइबर सेल गोण्डा द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई 02 पीड़ितों के कुल 12,000/- रूपये की धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को हृदय से दिया धन्यवाद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित लालमणी एवं आशाराम वर्मा ने साइबर सेल गोण्डा को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि साइबर फ्राँड गिरोह के सदस्यो द्वारा फर्जी काल करके पैसो का प्रलोभन देकर रूपये ट्रांसफर कर लिया गया है।

उक्त सूचना पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि क्रमशः लालमणी के रु0 3,000/- व आशाराम वर्मा के 9,000/- रूपये को होल्ड कराते हुए पीड़ित के रूपये खाते में पैसा वापस कराया गया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा गोण्डा पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 14.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।